भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
पाक्षिक समाचार

सम्पर्क

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खण्ड –XXVII अंक–05 15 मार्च, 2022

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।

साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग–युग में प्रकट हुआ करता हूँ। **श्रीमद्भगवद्गीता 4/8**

बधाई

भारत की स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन तथा महामहिम ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री एलेन्स इलियास द्वारा 3 मार्च को **"शी इज : 75 वूमेन इन STEAM"** नामक पुस्तक में 75 भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इसमें भा.प्रौ.सं. दिल्ली की निम्नलिखित 7 महिला संकाय सदस्य शामिल हैं :

1. प्रो. दीप्ति गुप्ता (वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी)
2. प्रो. श्रीदेवी उपाध्यायुला (रासायनिक इंजीनियरी)
3. प्रो. वर्षा सिंह (मानविकी एवं समाज विज्ञान)
4. प्रो. अर्चना चुग (कुसुमा जैव विज्ञान)
5. प्रो. अनुश्री मलिक (ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी)
6. प्रो. शिल्पी शर्मा (जैव रासायनिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी)
7. प्रो. यामा दीक्षित (वायुमण्डलीय विज्ञान)

आप सभी को हिन्दी कक्ष एवं संस्थान की ओर से हार्दिक बधाई !

त्यागपत्र स्वीकृत

स्थापना अनुभाग–II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estt.-2/2022/16087 दिनांक 28.2.2022 के अनुसार **श्री पंकज कुमार,** कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (केयर विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 28.2.2022 से स्वीकार कर लिया है। अतः श्री पंकज कुमार 28.2.2022 को संस्थान कार्य से मुक्त हो गए है।

आजादी का अमृत महोत्सव

शौर्य साहस की गौरवशाली कड़ियां

"अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में उन गुमनाम महिलाओं को याद करने का एक सुअवसर देता है जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।"

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दुनियाभर में महिलाओं को सम्मान, समानता, अधिकार और उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सरोकार पर बल देने के लिए मनाया जाता है। भारत में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में इस दिवस का अपना एक अलग महत्व है। कारण, इसी बहाने हम स्वाधीनता संघर्ष में भारतीय नारी की अप्रतिम साहसी भूमिका को समझ पाते हैं। अगर हम और भी पहले चलें तो हमारी प्राचीन परंपरा नारी के सम्मान पर हमेशा से बल देती रही है। वैदिक काल में स्त्री सम्मान की स्थिति यह थी कि बिना उनकी उपस्थिति के कोई कार्य पूरा नहीं होता था। अथर्ववेद का एक श्लोक है–**यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता** अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता विचरण करते हैं। नारी सम्मान की यह श्रृंखला मां पार्वती या देवी सीता की कथाओं से गंगा, सावित्री, कुंती, द्रौपदी, गार्गी, मैत्रेयी, शकुंतला आदि के रूप में हर समय, हर काल में विद्यमान रही, पर अफसोस की बात यह है कि स्त्री के इस सम्मान को धीरे–धीरे भुलाने की कोशिश की गई।

अगर हम देश में लंबे समय तक चले स्वाधीनता संग्राम को भी देखें तो इस आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन अफसोस है कि स्वाधीनता के साथ दशक बाद भी इनमें से बहुत सी महिलाओं के बलिदान और साहस को रेखांकित नहीं किया जा सका है। हम बलिदानी नारियों की सूची बनाते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होल्कर, रानी कित्तर चेन्नमा आदि के नाम तक आकर रुक जाते हैं, जबकि इसी आंदोलन में बहुत सी ऐसी महिलाएं रहीं, जिन्होंने देश और समाज के लिए स्वाधीनता संग्राम में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जिन महिलाओं को पुस्तकों में स्थान मिल गया, उनके बारे में देश को पता चल गया, लेकिन बड़ी संख्या में दूरदराज अंचल से स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली ललनाओं का मातृभूमि के लिए किया गया त्याग अलक्षित रह गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और अमृत महोत्सव इन्हीं में से बहुत सी महिला स्वाधीनता सेनानियों को याद करने का एक सुअवसर देता है, उदाहरण के लिए जानकी अति नहप्पन को ही देखें, जो बाद में जानकी देवर के नाम से जानी गई, एक संपन्न तमिल परिवार में पली–बढ़ीं जानकी जब मात्र 16 वर्ष की थीं, तब उन्होने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक अपील सुनी, जिसमें उन्होंने भारतीयों से यह अपील की थी कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो कुछ भी बन पड़े, सहयोग करें। जानकी ने अपनी सोने की बालियां दान में दे दी थीं और पिता की आपत्ति के बावजूद रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गई थीं। विलासिता में पली–बढ़ी, जानकी पहले तो सेना के जीवन की कठोरता के अनुकूल नहीं हो सकीं, पर बाद में धीरे–धीरे उन्हें सैन्य जीवन की आदत हो गई और रेजिमेंट में उनका करियर आगे बढ़ता गया।

इसी तरह दुर्गावती देवी की बात करें तो वह केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ी थीं, पर स्वाधीनता की चिंगारी को उन्होनें सुसराल में महसूस किया और अंग्रेजों से मुक्ति पाने के काम में जुट गई। क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर दुर्गावती देवी पिस्तौल चलाना जानती थीं और बम बनाना भी। क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना उनका एक काम था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की सहायता के उनके किस्से आज भी जनमानस में उनके योगदान के अनुरूप सामने नहीं आ पाए हैं। कहते हैं कि चंद्रेशखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उसे दुर्गा भाभी ही लेकर आई थीं।

पंजाब के एक गांव बक्शीवाला में वर्ष 1890 में जन्मी गुलाब कौर का बचपन बहुत ही साधारण बीता। उनका विवाह मानसिंह से हुआ, जो बेहतर जिंदगी की ललक में गुलाब कौर के साथ फिलीपींस के मनीला चले गए। उनका इरादा वहां से अमेरिका निकलने का था। इसी दौरान गदर आंदोलन से जुड़े देशभक्तों का जहाज मनीला पहुंचा। मनीला से गदर पार्टी का एक जत्था भारत आने की तैयारी में था। यह जानकर गुलाब कौर ने हिंदुस्तान लौटने का मन बना लिया, लेकिन, उनके पति मानसिंह ने भारत लौटने से मना कर दिया। इस पर गुलाब कौर पति को छोड़ देश लौट आई। वह गदर पार्टी के प्रचार–प्रसार से संबंधित साहित्य सामग्री का वितरण करती थीं और प्रिंटिंग प्रेस पर नजर रखती थी। वह गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को छद्म भेष में हथियार भी सप्लाई करती थीं, साथ ही संदेशों का आदान–प्रदान भी करती थीं। ऐसे ही काम के दौरान एक बार अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह के जुर्म में दो साल जेल की सजा दे दी।

इंदौर के प्रतिष्ठित झंवर परिवार में जन्मी राधा देवी आजाद ने सैकड़ों मीलों की पदयात्रा की तथा गांधी जी के देशभक्ति संदेश को जन–जन तक पहुंचाया तो कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने देश में स्त्री सशक्तीकरण के लिए इतने कार्य किए कि देश के स्वाधीनता आंदोलन में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होना चाहिए। गांधी जी के नमक सत्याग्रह, महिलाओं की शिक्षा और स्वावलंबन, हस्तशिल्प, हथकरघा को बढ़ावा, थिएटर की स्थापना में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। बिहार के तत्कालीन सारण की तारा रानी श्रीवास्तव का कम उम्र में ही विवाह हो गया था। उनके पति फुलैना बाबू इलाके के रसूखदार व्यक्ति थे। 12 अगसत, 1942 को सिवान में बड़ा प्रदर्शन हुआ और स्वाधीनता सेनानियों ने तय किया कि वे महाराजगंज थाने पर झंडा फहराएंगे। आंदोलनकारियों के साथ फुलैना बाबू और उनकी पत्नी तारा रानी भी साथ थीं। तारा रानी के पति को गोली लगी, लेकिन वह ध्वज लेकर आगे बढ़ती रहीं। इस कड़ी में बिश्नी देवी शाह, अक्कम्मा चेरियन, चकली इलम्मा जैसे बहुतेरे नाम हैं, जिन्होनें भारतीय नारी का मस्तक अपने शौर्य से इतिहास में अमर कर दिया। इसके बावजूद बहुत से ऐसे नाम हैं, जो आज भी गुमनाम हैं।

–सुजाता शिवेन
साभार–दैनिक जागरण
दिनांक–5 मार्च, 2022

शिक्षा मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम/नियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए जाँच–बिंदुओं का निर्माण/सुदृढ़ीकरण।

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (राजभाषा विभाग), भारत सरकार द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 13035–10/2021 रा.भा.ए. दिनांक 29 सितम्बर, 2021 को प्राप्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार – राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा–4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, राजभाषा विभाग–गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित **जाँच–बिंदुओं** को संस्थान में सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि इन जाँच–बिन्दुओं की संबंधित अनुभागों में अनुपालना सुनिश्ति करें।

क्र. सं.	विषय	जाँच बिन्दु/अनुपालना
1.	**सामान्य आदेश तथा अन्य कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना:–** राजभाषा अधिनियम 1993 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दस्तावेज पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाएं जब तक वह द्विभाषी रूप में प्रस्तुत न किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि हिन्दी रूपांतर को अंग्रेजी रूपांतर से पहले/ऊपर रखा गया है। **धारा 3 (3) से संबंधित दस्तावेज निम्नलिखित हैं:–** सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञाप्ति/टिप्पणियाँ, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस [i क्रय/विक्रय संबंधी, ii सिविल/अन्य कार्य संबंधी] संकल्प, नियम, संसद के सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज–पत्र (रिपोर्टो के अलावा) संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजना।	हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी

2.	**हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना:–** पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) की अपेक्षानुसार हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित करें।	हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी
3.	**'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि:–** प्रेषण अनुभाग जाँच बिंदु होगा जो सरकारी आदेशों के अनुपालन में ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करेगा जब वे हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उनके साथ संलग्न होगा।	प्रेषण अनुभाग एवं अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग / प्रशासनिक अधिकारी
4.	**रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखना:–** कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तरण को नियमानुसार अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर / पहले रखा जाएगा।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग / प्रशासनिक अधिकारी
5.	**लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना:–** प्रेषण अनुभाग जाँच बिंदु होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते नियमानुसार देवानागरी लिपि में लिखे जाएं।	प्रेषण अनुभाग एवं अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग / प्रशासनिक अधिकारी
6.	**फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखना:–** कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली सभी फाइलों के कवरों पर विषय नियमानुसार द्विभाषी रूप में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर / पहले रखा जाएगा।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग / प्रशासनिक अधिकारी
7.	**यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटरों की खरीद:–** जो अधिकारी / अनुभाग कंप्यूटरों की खरीद / अनुरक्षण का कार्य देखता है, उसके द्वारा सभी कंप्यूटरों में हिंदी का यूनिकोड समर्थित (Unicode Supporeted) एक सा सॉफ्टवेयर / फॉन्ट डाला जाना सुनिश्चित किया जाएगा और नए कंप्यूटर खरीदते समय भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विक्रेता कम्पनी द्वारा उनमें हिंदी का यूनिकोड समर्थित (Unicode Supporeted) एक सा सॉफ्टवेयर / फॉन्ट डाला जा चुका है। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी में Times New Roman और Arial आदि जैसे अनेकानेक फॉन्ट सभी कंप्यूटरों में उपलब्ध रहते हैं, जिससे अंग्रेजी की सामग्री को सभी कंप्यूटरों में देखना, संपादित / संकलित करना तथा उसका प्रिंट लेना संभव है, किंतु हिंदी में स्थिति ऐसी नहीं है। सभी कंप्यूटरों में हिंदी का एक सा फॉन्ट नहीं होने से एक कंप्यूटर की सी डी / पैन–ड्राइव एवं ई–मेल के जरिए भेजी जाने वाली सामग्री दूसरे कंप्यूटर में नहीं खुलती है। ऐसी स्थिति में अलग–अलग स्रोतों से और / या अलग–अलग फॉन्टस् में प्राप्त हिंदी की सामग्री को देखना, संपादित / संकलित करना तथा उसका प्रिंट लेना संभव नहीं हो पाता है। अतः कंप्यूटरों की खरीद / अनुरक्षण का कार्य देखने वाले अनुभाग / अधिकारी सभी कंप्यूटरों में हिंदी का यूनिकोड समर्थित एक सा ही फॉन्ट होना सुनिश्चित करेंगे। यह भी हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन कंप्यूटरों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके लिए इसे किसी निजी फर्म से न खरीदा जाए, वरन राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in अथवा bhashaindia.com से निःशुल्क डाउनलोड किया जाए। शंका के समाधान अथवा अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, चतुर्थ तल, बी विंग, एनडीसीसी–II बिल्डिंग, जयसिंह रोग, नई दिल्ली–110001 से संपर्क किया जाए।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग / प्रशासनिक अधिकारी
8.	**फार्मों, कोडों, मैअनुल, प्रक्रिया साहित्य और सरकारी राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन:–** सरकारी आदेशों के अनुपालन में भारत के राजपत्र में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प एवं कोड, मैअनुल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य आदि हर हाल में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाएं। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि जो सामग्री दोनों भाषाओं में नहीं भेजी जाती उसे मुद्रण निदेशालय / सरकारी प्रेस संबंधित विभाग को वापस कर देता है। गैर–सरकारी प्रेसों में छपाई जाने वाली सामग्री के संबंध में भी इसी तरह के जाँच बिंदु स्थापित किया जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक

9.	**रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनानाः–** रबड़ की मोहरे, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि बनवाने वाले अनुभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित उक्त सामग्री हिंदी और अंग्रेजी–द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार करना सुनिश्चित करे।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
10.	**सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में करनाः–** जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है, उसका प्रभारी अधिकारी, सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टि या हस्ताक्षर करते समय, ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में ही किया जाना सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की प्रविष्टियां ''ग'' क्षेत्र में भी यथा सम्भव हिंदी में की जाएंगी।	स्थापना अनुभाग
11.	**विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशनः–** समाचार पत्रों आदि में दिए जाने वाले विज्ञापनों को जारी करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30.6.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20012/01/2017–रा.भा. (नीति) में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा के साथ–साथ हिंदी भाषा में भी अनिवार्यतः छपवाएं जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
12.	**वेबसाइट का द्विभाषीकरणः–** वेबसाइट का काम देखने वाला अधिकारी/अनुभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वेबसाइट के मामले में सरकारी दिशानिर्देशों का सम्यक अनुपालन हो और वेबसाइट के निर्माण/उद्यतनीकरण करने वाली कम्पनी के साथ किए जाने वाले करार में– (i) वेबसाइट को द्विभाषी रूप में तैयार करने (ii) अग्रेंजी सामग्री अपलोड करते समय हिंदी सामग्री को भी अपलोड करने और (iii) अंग्रेजी रूपान्तरण को अद्यतन बनाते समय हिंदी रूपान्तरण को भी अद्यतन बनाने संबंधी उपबंध शामिल हों। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हों।	कंप्यूटर सेवा केन्द्र
13.	**नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड द्विभाषी रूप में जारी करनाः–** कार्यालय में नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड तैयार करने वाले अनुभाग/प्रभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड का हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में और यथा संभव अपनी क्षेत्रीय भाषा में तैयार करना सुनिश्चित करें।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
14.	**हिन्दी पुस्तकों की खरीदः–** राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़ करके कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई–पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन–ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% व्यय किया जाना अनिवार्य है जिसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय के पुस्तकालय प्रभारी की होगी।	पुस्तकालय प्रभारी
15.	**हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी तय करनाः–** पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जो पत्र/परिपत्र/प्रलेख आदि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार केवल हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी/तैयार किये जाने हों, वे उसी रूप में जारी किए जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी

हिन्दी कक्ष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित दूरभाषः EPABX 1772, 7144, 1242

मुद्रकः सागर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ई–मेलः sagarprinters@gmail.com